मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 2904–4जी0एस0 72/15484 दिनांक 18मई, 1972 की प्रति ।

विषय :–– स्थानांतरण संम्बम्न्वित पालिसी में तबदीली ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपयुक्त विषय पर आपक ध्यान हरियाणा के पत्र क्रमांक 2812–4जी0एस0 72/14558 दिनांक 10-5-72 की ओर दिलाऊँ और आप को सूचित करूं कि इस पत्र द्वारा जारी की गई हिदायतों में सरकार ने यह संशोधन करने का निर्णय किया है कि किसी भी कर्मचारी/अधिकारी का स्थानांतरण, चाहे वह सामान्य स्थानांतरण अवधि में हो या मध्यवर्ती स्थानांतरण हो, करने से पहले कार्य भारी मन्त्री महोदय अपनी अनुमति देने से पहले मुख्य मन्त्री महोदय की अनुमति प्राप्त करेंगे । इस प्रकार सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण के प्रस्ताब मुख्य मन्त्री महोदब को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और यह आदेश तब तक जारी रहेंगे जब तक कि कोई अन्य आदेश इस विषय पर सरकार द्वारा जारी नहीं कर दिए जाते ।